

साहित्य अकादेमी / SAHITYA AKADEMI

रवीन्द्र भवन/Rabindra Bhavan

35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110 001/35, Ferozeshah Road, New Delhi 110001

दूरभाष/Tel: +91-11-23386626, +91-11-23387064

फैक्स/Fax: +91-11-23382428

ई-मेल/E-mail : secertary@sahitya-akademi.gov.in वेबसाइट/Website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

सा.अ. 61/014पु. SA. 61/14/SA 11 मार्च 2014 11 March 2014

वार्षिक साहित्य अकादेमी पुरस्कार नियम THE ANNUAL SAHITYA AKADEMI AWARD RULES

1. सामान्य

- (1) नियम 1(2) के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले पाँच वर्षों में साहित्य अकादेमी (इसके पश्चात् जिसे 'अकादेमी' कहा जाएगा) द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय लेखक की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। उदाहरण : 2004 के पुरस्कार के लिए, 1998 से 2002 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
- (2) नियम 5 (1) के अंतर्गत गठित जूरी की राय में यदि किसी भाषा में पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती तो उस वर्ष उस भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
- (3) पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जाएगी, जितनी अकादेमी समय-समय पर निर्धारित करेगी। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति-पत्र भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें पुस्तक के वैशिष्ट्य तथा अपनी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।
- (4) जहाँ दो या अधिक पुस्तकें समान योग्यता की पाई जाएँगी, वहाँ पुरस्कार-निर्धारण के समय उनके लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान और संबद्ध भाषा में उनकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाएगा।

1. General

1. Subject to the provision of rule 1(2), there shall be an award every year for the most outstanding original book by an Indian author published in India, first published in any of the languages recognised by the Sahitya Akademi (hereafter referred to as the Akademi) during the five years prior to the year, immediately preceding the year of the award.

Illustration: For the award of 2004, books published between 1998 and 2002 would be considered.

- 2. The award for any language may not be given during any year if, in the opinion of the Jury constituted in pursuance of rule 5 (1), no book published in that language during the five years preceding the year of the award merits the award.
- 3. The award shall consist of such amount as the Akademi may from time to time decide besides a citation that brings out, briefly, the book's significance and its author's contribution to his/her language and literature.
- 4. Where two or more books are found to be of equal merit, the total literary contribution and standing of their authors shall be taken into consideration in deciding the award.

- (5) लेखक भारतीय होना चाहिए।
- (6) पुरस्कार के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब चयन की अंतिम प्रक्रिया में कम-से-कम तीन पुस्तकें हों।

2. पुरस्कार के लिए विचारणीयता के मानदंड

- (1) पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिए पुस्तक का संबद्ध भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट योगदान होना चाहिए। पुस्तक सर्जनात्मक या समालोचनात्मक हो, किन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए:
 - (क) अनूदित कृति, अथवा
 - (ख) संचयन, अथवा
 - (ग) संक्षिप्त या संकलन या टीका, अथवा
 - (घ) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया गया प्रबंध या शोधकार्य, अथवा
 - (ङ) ऐसे लेखक की कृति, जिसे अकादेमी से (अनुवाद पुरस्कार, बालि साहित्य पुरस्कार तथा युवा पुरस्कार के अतिरिक्त) पहले भी पुरस्कार मिल चुका है, अथवा
 - (च) भाषा सम्मान प्राप्तकर्त्ता, अथवा
 - (छ) साहित्य अकादेमी का महत्तर सदस्य; अथवा
 - (ज) ऐसे लेखक की कृति जो अकादेमी के कार्यकारी मंडल का सदस्य है।
- (2) पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की रचनाओं से तैयार नया संग्रह अथवा पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे। तथापि पुस्तक में शामिल रचनाओं का 75 प्रतिशत भाग यदि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो उस स्थिति में वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।
- (3) कोई अपूर्ण कृति पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आप में पूर्ण हो।
- (4) लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति केवल तभी पुरस्कार के लिए विचारणीय होगी, यदि लेखक की मृत्यु पुरस्कार के लिए निर्धारित पाँच वर्ष के भीतर या उसके बाद हुई हो। उदाहरण: यदि लेखक का मृत्यु वर्ष 2008 से पूर्व का हो, उस स्थिति में उसकी कृति वर्ष 2014 के पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगी।
- (5) ऐसी पुस्तक पुरस्कार के अयोग्य होगी, जिसके संबंध में कार्यकारी मंडल को विश्वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।

- 5. The author must be of Indian nationality.
- 6. The Award will be considered only if there is minimum of three books in the final stage of selection.

2. Criteria of eligibility for the Award

- 1. In order to be eligible for the award, the book must be an outstanding contribution to the language and literature to which it belongs. The book may be a creative or a critical work, but must not be
 - (a) a work of translation; or
 - (a) an anthology of multiple authors; or
 - (b) an abridgement, or a compilation, or an annotation; or
 - (d) a treatise or research work prepared for a university degree or any examination; or
 - (e) the work of an author who has earlier won an award from the Akademi (other than the Translation Prize, Bal Sahitya Puraskar and Yuva Puraskar); or
 - (f) a recipient of Bhasha Samman; or
 - (g) the Fellow of Sahitya Akademi; or
 - (h) the work of an author who is a member of the Executive Board of the Akademi.
- (2) A fresh collection of writings published earlier in book form, or revised editions of books published earlier, are not eligible for Award. However, if at least 75% of the work included in a collection has been published for the first time in book form, it can be considered for Award.
- (3) An incomplete work may be considered for the award only if the part that comprises the book is complete in itself.
- (4) A posthumous publication is eligible for Award only if the author has died within the five year period stipulated for the award or later.
 - **Illustration:** An author who has died before 2008 would not be eligible for the award of 2014.
- (5) A book shall be disqualified for the award if it is established to the satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the author.

(6) लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा सीधे पुस्तकें जमा नहीं की जाएँगी।

3. आधार-सूची के निर्माण तथा भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियाँ प्राप्त करना

- (1) अकादेमी हर वर्ष प्रत्येक मान्यता प्रदत्त भाषा की विचारणीय पुस्तकों की एक आधार सूची तैयार कराएगी जिसका निर्माण-कार्य दो विशेषज्ञों को सौंपा जा सकता है।
- (2) भाषा परामर्श मंडल का प्रत्येक सदस्य अधिक-से-अधिक पाँच नामों का एक पैनल भेजेगा और अकादेमी के अध्यक्ष (जिन्हें इसके बाद अध्यक्ष कहा जाएगा) इस प्रकार प्राप्त पैनलों में से विशेषज्ञों का चुनाव करेंगे।
- (3) आधार-सूची तैयार करते समय विशेषज्ञ, नियमों में सुनिश्चित विचारणीयता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करेंगे। इस प्रकार निर्मित आधार-सूची, जिसमें गत वर्ष संस्तुत कृतियाँ भी सम्मिलित होंगी, संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के (संयोजक सहित) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादेमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य—
 - (क) आधार-सूची से दोनों पुस्तकें, अथवा
 - (ख) एक पुस्तक आधार-सूची से और दूसरी अपनी रुचि की, अथवा
 - (ग) दोनों पुस्तकें अपनी रुचि की चुन सकता है।

4. प्रारंभिक पैनल तथा उसके कार्य

- (1) प्रारंभिक पैनल में दस निर्णायक होंगे जिनका चयन अध्यक्ष द्वारा संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा।
- (2) भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियों को संकलित करके प्रत्येक निर्णायक को भेजा जाएगा।
- (3) प्रत्येक निर्णायक दो पुस्तकें अनुमोदित करेगा। ये पुस्तकें पूर्ववर्ती नियम 4 (2) के अनुसार भेजी गई सूची में से चुनी जा सकती हैं अथवा निर्णायक द्वारा स्वयं अपने विवेक से।

5. जूरी और उसके कार्य

(1) प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों की संस्तुतियों पर एक त्रि-सदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त संबद्ध परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियों (6) Books will not be submitted directly from authors and publishers.

3. Preparation of the Ground list and obtaining recommendations from members of the Language Advisory Board

- (1) The Akademi shall have every year a ground list prepared of eligible books of each recognized language. Preparation of the ground list shall be entrusted to two experts,
- (2) Each Language Advisory Board member shall send a panel of not more than five names and the President of the Akademi (hereafter referred to as the President) shall choose the experts out of this panel.
- (3) In preparing the ground list, the expert or experts shall strictly conform to the criteria of eligibility laid down in these rules. The ground list so prepared along with the ground list of the previous year shall be sent to all the members of the concerned Language Advisory Board (including the Convener) with the request to recommend two titles each by such date as may be specified by the Akademi. A member may select:
 - a) both the titles from the ground list, or
 - b) one title from the ground list and the other on his/her own, or
 - c) both the titles on his/her own.

4. The Preliminary Panel and its Functions

- The Preliminary Panel shall consist of ten Referees. These Referees shall be nominated by the President after considering suggestions of the members of the Language Advisory Board concerned.
- 2. The recommendations received from members of the Language Advisory Board shall be compiled and sent to each Referee.
- 3. Each Referee should recommend two books. These titles may be selected either out of the list sent in pursuance of rule 4 (2) above or by the Referee on his/her own

5. The Jury and its Functions

(1) The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be considered by a three-member

- पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।
- (2) प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों द्वारा अनुशंसित पुस्तकें ख़रीद कर अकादेमी जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।
- (3) संयोजक, जूरी और अकादेमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। संयोजक की अनुपस्थिति में अकादेमी के अध्यक्ष सामान्य परिषद या परामर्श मंडल के किसी सदस्य को उनके स्थान पर नामित कर सकते हैं। वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप से संपन्न हो। वह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।
- (4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मित से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिए एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है। समस्त सदस्यों को बैठक में भाग लेना होगा, यदि कोई सदस्य किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो वह अपनी संस्तुति लिखित में भेज सकता/सकती है। उन्हें चर्चा में भाग लेने हेतु दूरभाष की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

6. पुरस्कार की घोषणा

(1) जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिए कार्यकारी मंडल के समक्ष रखा जाएगा। पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अन्तिम चरण में चुनी गई पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जाएगी।

7. विविध

- (1) यदि भाषा परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय-सीमा की अनदेखी की जाती है, तो अकादेमी यह मानकर चलेगी कि उसका/उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार-प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादेमी समय-सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढ़ाती हो।
- (2) कार्यकारी मंडल के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा।
- (3) यदि पुरस्कार प्रदान किए जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके। उसकी पति, पत्नी अथवा किसी क़ानूनी वारिस को दिया जाएगा।

सचिव साहित्य अकादेमी

- Jury. The Jury members shall be selected by the President after considering the recommendations in this behalf by the members of the Language Advisory Board concerned.
- (2) The Akademi shall purchase the books recommended by the Referees in the Preliminary Panel and send them to the Jury members and to the Convener.
- (3) The Convener shall act as the link between the Jury and the Akademi. In the absence of the Convener, President can nominate a General Council or Advisory Board Member as a replacement. He/she will ensure that the meeting of the Jury is conducted properly and satisfactorily and will countersign the report of the Jury.
- (4) The Jury members shall, either by consensus or by majority, recommend a book for the award. They may also recommend that, in their opinion, no book is eligible for the award during the year. All the members have to attend the meeting, however, only in case of emergency he/she may convey his/her views in writing. He/she should be provided with the facility of participating in the discussion through phone.

6. Declaration of Award

(1) The recommendation of the Jury shall be placed before the Executive Board for formal approval and announcement of the award. The names of the Jury members and the short-listed books in the final stage shall be made public simultaneously with the announcement of the Award.

7. Miscellaneous

- 1. If the time limit for submission of the recommendations is not observed by a member of the Language Advisory Board or by a Referee, the Akademi shall presume that he or she has no recommendation to make and shall proceed accordingly unless, in any particular case, it is in a position to extend the time limit and actually does so.
- 2. The award ceremony shall be held on such date and at such place as the Executive Board/President may decide.
- 3. In the event of the death of an award- winning author before conferment of the award, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir.

Secretary Sahitya Akademi